


कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छत्तीसगढ़)

“ आदेश ”

क्रमांक/ 384 /अ.जि.द./एस.डब्ल्यू./2024 बलौदाबाजार, दिनांक 15 जून, 2024

दिनांक 10 जून 2024 को संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में हुई घटना के शिकार व्यक्तियों के लिए मनोचिकित्सा काउंसलिंग एवं यथोचित उपचार सहायता एवं क्षतिपूर्ति का आकलन करने हेतु निम्नानुसार “ पीड़ित राहत समिति ” का गठन किया जाता है :-

1. मुख्य कार्यापालन अधिकारी जिला पंचायत बलौदाबाजार
 2. श्री मिथलेश डोंडे, संयुक्त कलेक्टर, जिला कार्यालय बलौदाबाजार
 3. जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, बलौदाबाजार
 4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बलौदाबाजार
 5. जिला आयुर्वेद अधिकारी, बलौदाबाजार
 6. उप संचालक, समाज कल्याण बलौदाबाजार
2. उक्त समिति घटना से प्रभावित व्यक्तियों के समुचित उपचार की व्यवस्था करेगी।
3. यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।



(दीपक सोनी),

~~कलेक्टर~~

~~जिला बलौदाबाजार-भाटापारा~~

पृ० क्रमांक/ 384 /अ.जि.द./एस.डब्ल्यू./2024 बलौदाबाजार, दिनांक 15 जून, 2024
IA प्रतििलिपि:-

1. पुलिस अधीक्षक, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सर्व सम्बन्धितों की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


(दीपक सोनी),

~~कलेक्टर~~

~~जिला बलौदाबाजार-भाटापारा~~